अध्याय-I

प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा की पोषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (सामान्य रूप से मिड डे मील योजना के रूप मे ज्ञात), 15 आगस्त 1995 को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। योजना नामांकन, अवधारण और उपस्थिति बढाने के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढाने और साथ साथ 1997-98 तक चरण बध्द रीति में देश व्यापी प्राथमिक कक्षाओं मे छालों के आहार पर प्रभाव डालने को अभिप्रेत थी। कार्यक्रम आरम्भ में सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कलों में प्राथमिक चरण (कक्षा I से V तक) पर बच्चों पर केन्द्रीत थी। अक्तूबर 2002 में शिक्षा गारंटी योजना (ई जी एस) और वैकल्पिक तथा नवीकरणीय शिक्षा (ए आई ई) केन्द्रों (अब विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप मे ज्ञात) में अध्ययनतर बच्चों को शामिल करने के लिए इसे बढाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसे सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों तक और बढाया गया था (अप्रैल 2008)।

दिसम्बर 2004 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए। इन मार्गनिर्देशों में निम्नतम 300 कैलोरी तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन मात्रा वाले पके खाने पर जोर दिया गया था। बंचित वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा अवधारण पर विशेष केन्द्र था। प्राथमिक चरण पर छात्रों को पौषणिक सहायता सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी प्रदान की जानी थी। प्रबन्धन, निगरानी तथा मूल्यांकन की सहायता भी परिकल्पित की गई थी।

योजना आगे सितम्बर 2006 में संशोधित की गई थी संशोधित उद्देश्य निम्न थे:

i) सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और ई जी एस/ए आई ई केन्द्रों में कक्षा 1-v में बच्चों की पौषणिक स्थिति सुधारना।

ii) वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और कक्षा कार्यकलापों पर सकेन्द्रित करने के लिए उनकी सहायता करना।

iii) गर्मियों की छुट्टी के दौरान, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करना।

सितम्बर 2006 के संशोधित मार्गनिर्देशों में पके एम डी एम की पौषणिक मात्रा 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन मात्रा, जबकि साथ साथ अनिवार्य माइक्रोन्यूट्रिएन्ट तथा कीडे मारने की दवाओं तक बढाई गई थी योजना। 2008-09 से उच्च प्राथमिक स्तर तक बढाई गई थी।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

एम डी एम योजना की मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग) द्वारा व्यवस्था की जा रही है। सचिव, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अन्तर्गत, संयुक्त सचिव (प्राथमिक शिक्षा-1) योजना का प्रभारी है। योजना के अन्तर्गत, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में, तीन उप सचिव तथा एक निर्देशक संयुक्त सचिव की सहायता करते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यों/यूटी सरकारों का है। एम डी एम योजना के कार्यान्वयन का एक प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:-

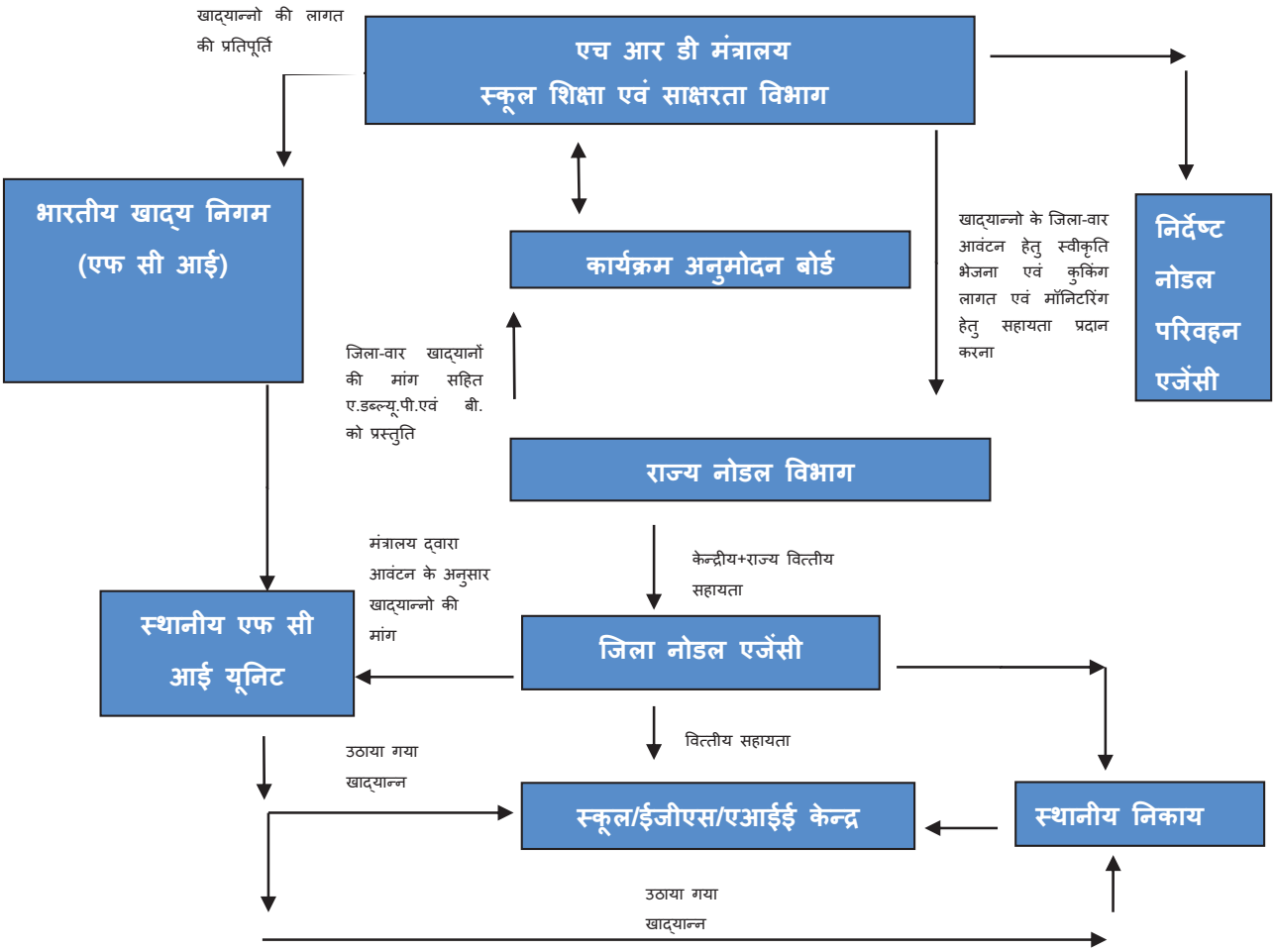

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

1.2 बजट तथा व्यय

बजट आबंटन तथा व्यय के ब्यौरे नीचे तालिका 1.1 में दर्शाए गए है:

तालिका 1.1 बजट अनुमान तथा व्यय के व्यौरे

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	निर्गम	व्यय	अधिवय(+) घाटा(-)
2009-10	8000.00	7359.15	6937.26	5621.67	1315.59
2010-11	9440.00	9440.00	9124.52	7786.56	1337.96
2011-12	10380.00	10239.01	9890.72	9235.82	654.90
2012-13	11937.00	11500.00	10858.16	10196.98	661.18
2013-14	13215.00	12189.16	10910.35	10873.75	36.60
		जोड़	**47721.01**	**43714.78**	**4006.23**

1.3 वित्तीय सहायता

एम डी एम योजना मुख्यतया एच आर डी मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जाती है। केन्द्रीय सहायता निम्न के रूप में राज्यों को प्रदान की जाती है:

i) निकटतम एफ सी आई गोदाम से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में 100 ग्राम/150ग्राम प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस की दर पर मुफ्त खाद्यान्नों (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति करना,

ii) निम्नलिखित सीमा के अध्यधीन, प्राथमिक स्कूल को निकटतम एफ सी आई गोदाम से खाद्यान्नों के परिवहन में खर्च की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करना

(क) 11 विशेष श्रेणी राज्यों यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जे एण्ड के, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए ₹100 प्रति क्विंटल (1दिसम्बर 2009 से ₹125प्रति क्विंटल तक संशोधित) और

(ख) सभी अन्य राज्यों तथा यूटी के लिए ₹75 प्रति क्विंटल

iii) तालिका 1.2 में दी गई दरों पर प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस खाना पकाने की लागत के लिए सहायता प्रदान करना:

तालिका 1.2 खाना पकाने की लागत की दरें

(राशि ₹ में)

अवधि	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर[1]			
	गैर एन ई आर राज्य		एन ई आर राज्य		गैर एन ई आर राज्य		एन ई आर राज्य	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
सितम्बर 2006 से	1.50	0.50	1.80	0.20	2.00	0.50	2.30	0.20
दिसम्बर 2009 से	1.88	0.62	2.25	0.25	2.81	0.94	3.38	0.37
अप्रैल 2010 से	2.02	0.67	2.42	0.27	3.02	1.01	3.63	0.40
अप्रैल 2011 से	2.17	0.72	2.60	0.29	3.25	1.09	3.91	0.43
जुलाई 2012 से	2.33	0.78	2.80	0.31	3.49	1.16	4.19	0.46
जुलाई 2013 से	2.51	0.83	3.01	0.33	3.75	1.25	4.50	0.50

क) खाना पकाने की लागत के अतिरिक्त रसोइया एवं सहायक के मानदेय के लिए ₹1000 प्रति माह की सहायता 90.10 आधार पर केन्द्र तथा एन ई आर राज्यों के बीच और 75:25 आधार पर अन्य राज्यों/यूटी के साथ बांटी जाती है। (25 छात्रों तक वाले स्कूल में एक, 26 से 100 तक छात्रों वाले स्कूलों के लिए दो रसोइया एवं सहायक और 100 छात्रो तक की प्रत्येक वृध्दि के लिए एक अतिरिक्त रसोइया एवं सहायक लगाया जाए)

[1] योजना का, 2007-08 से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में तथा 2008-09 से देश व्यापी स्तर पर विस्तार किया गया।

ख) राज्य सरकार/यूटी प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता की बढी दर का पात्र होने के उद्देश्य से उपर्युक्त निम्नतम अंशदान प्रदान करना अपेक्षित होगा।

iv) "सूखा प्रभावित" के रूप मे राज्य सरकारों द्वारा घोषित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान दोपहर के पके खाने के लिए सहायता प्रदान करना।

v) ₹60,000 प्रति यूनिट की अधिकतम लागत तक चरणबध्द रीति में रसोई सह स्टोर का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान कर। राज्यों से अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता का सक्रिय रूप से अनुसरण करने की प्रत्याशा की गई थी।

vi) औसतन ₹5000 प्रति स्कूल की दर की लागत पर रसोई साधनों का प्रावधान करने तथा बदलने के लिए चरणबध्द रीति में सहायता प्रदान करना राज्यों/यूटी प्रशासनों को स्कूल की वास्तविक आवश्यकताओं (वशर्ते कि राज्य/यूटी प्रशासनों का सम्पूर्ण औसत ₹5000 प्रति स्कूल रहता है) के आधार पर नीचे सूचीबध्द मदों पर खर्च करने की नम्यता होगी।

क) खाना पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा आदि)

ख) खाद्यान्नों तथा अन्य संघटकों के भण्डारण के लिए कन्टेनर

ग) खाना पकाने तथा परोसने के बरतन

vii) प्रबन्धन, निगरानी तथा मूल्यांकन (एम एम ई) के लिए राज्यों/यूटी को (क) मुक्त खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत और (ग) खाना पकाने की लागत पर कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर पर सहायता प्रदान करना। उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2 प्रतिशत प्रबन्धन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा।

एम डी एम योजना का, राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर प्रबन्धन ढांचा है।

1.4 कार्यान्वयन

योजना मार्गनिर्देश 2006 के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों, ई जी एस तथा ए आई ई केन्द्रों में प्रत्येक बालक को पोषक, पका एम डी एम प्रदान करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। राज्य/केन्द्र के उत्तरदायित्व नीचे दिए गए है:

(i) प्रत्येक राज्य सरकार/यू टी प्रशासन योजना पर खर्च के अपने स्वयं के प्रतिमान निर्धारित तथा अधिसूचित (राज्य प्रतिमान) करेगा जिसके आधार पर यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियां आबंटित करेगा।

(ii) राज्य प्रतिमान पोषक पके भोजन का नियमित तथा अविरत प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए रूपात्मकताएं सूचित करेंगे। राज्य सरकारें/यू टी विस्तृत मार्गनिर्देश विकसित तथा परिचालित करेंगे।

(iii) प्रत्येक राज्य सरकार/यू टी प्रशासन अपने विभागों में से एक को नोडल विभाग पदनामित करेगा जो कार्यक्रम कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व लेगा और जिला तथा ब्लॉक स्तर (अर्थात जिला कलेक्टर, जिला/मध्यवर्ति पंचायत आदि) पर एक नोडल अधिकारी अथवा एजेंसी भी, जिसे जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, के रूप में नामित करेगा।

(iv) दोपहर भोजन को पकाने/आपूर्ति का उत्तरदायित्व स्थानीय स्त्रियों/माताओं, नेहरू युवा केन्द्रों से सम्बन्धित स्थानीय युवा क्लब, स्वैच्छिक संगठनों तथा गांव शिक्षा समिति (वी ई सी)/ स्कूल प्रबन्धन एवं विकास समिति (एस एम डी सी)/अविभावक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.)/ग्राम पंचायतों/नगर पालिका द्वारा सीधे लगाए गए कार्मिकों को सौंपा जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों, जहाँ केन्द्रीयकृत रसोई संगठन स्कूलों के समूह के लिए सम्भव है, में खाना पकाना, जहाँ कहीं सम्भव हो, केन्द्रीयकृत रसोई में आरम्भ किया जाए और पका गर्म खाना तब विभिन्न स्कूलों को विश्वसनीय परिवहन के माध्यम से स्वास्थ्यकर स्थितियों के अन्तर्गत ले जाया जाय।

(v) मंत्रालय कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, खाद्यान्नों के जिला-वार आवंटन को, पकाने लागतों, रसोईघर-सह-भंडार के निर्माण, पकाने व रसोईघर उपकरणों तथा एम.एम.ई. आवंटनों को राज्य नोडल विभाग तथा एफ.सी.आई. को सूचित करेगा। राज्य नोडल विभाग, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु जिला-वार आवंटनों को, सभी जिला नोडल एजेंसियों को सूचित करेगा।

(vi) खाद्यान्न, भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) द्वारा प्रदान किए जाएंगे। एफ सी आई खाद्यान्नों की लगातार उपलब्धता के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार/यू टी प्रशासन सामायिक रीति में प्रत्येक स्कूल आदि को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करेंगे।

1.5 लेखापरीक्षा अभिगम और कार्यप्रणाली

एम डी एम की निष्पादन लेखापरीक्षा एम एच आर डी और 27 राज्यों (मिजोरम को छोड़कर) तथा 7 संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ योजना प्रचालनाधीन थी, में की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा 24 अगस्त 2014 को मंत्रालय के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस से आरम्भ की गई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्य तथा मानदण्ड पर चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया में स्कूलों, ब्लॉकों, जिलों, राज्यों तथा मंत्रालय स्तर पर योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच शामिल थी। लेखापरीक्षा के समापन और लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समेकन के बाद 15 जुलाई 2015 को मंत्रालय के साथ एक्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद अब तक (सितम्बर 2015) लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर नहीं भेजे थे।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि शामिल करती है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित स्तरों पर योजना का कार्यान्वयन शामिल किया गया:

केन्द्रीय स्तर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग
राज्य स्तर	राज्य नोडल विभाग
जिला/ब्लॉक स्तर	जिला नोडल विभाग
तृणमूल स्तर	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल/केन्द्र

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिचयन

योजना 28 राज्यों 7 यू टीस के सभी जिलों में 9.12 करोड़ बच्चों को कवर कर 7.75 लाख प्राथमिक स्कूलों/ईजीएस/ ए आई ई केन्द्रों/मदरसों/मकतबों और 4.76 करोड़ बच्चों को कवर कर, 3.83 लाख उच्च प्राथमिक स्कूलों/ई जी एस/ए आई ई केन्द्रों/मदरसों/मकतबों में कार्यान्वित की जाती है।

भिन्न यूनिटों के चयन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया गया था।

लेखापरीक्षा में 34 राज्यों/यू टी के कुल 113 जिलों तथा 3376 स्कूलों की नमूना जांच की गई। लेखापरीक्षा हेतु चयनित जिलों तथा स्कूलों का राज्य वार ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

1.	राज्य	मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य तथा यू टी			
2.	जिले	जिलों में, जी पी एस डब्ल्यू ओ आर विधि द्वारा चयन किए जाने वाले निम्नतम दो के अध्यधीन, राज्य के अन्दर 15 प्रतिशत जिले			
3.	स्कूल	प्रत्येक जिले में एस आर एस डब्ल्यू ओ आर विधि द्वारा चयनित 30 स्कूल प्रति जिला			
		क्षेत्र का नाम (ब्लॉक)	क्षेत्र की संख्या (ब्लॉक)	प्राथमिक स्कूल/ई जी एस/ए आई ई केन्द्र/मदरसा/मकतब	उच्च प्राथमिक स्कूल/ई जी एस/ ए आई ई केन्द्र/मदरसा/मकतब
		ग्रामीण	3	14	7
		शहरी	1	6	3
		जोड	4	20	10
नोट: यदि ग्रामीण/शहरी क्षेत्र दोनों में स्कूलों की संख्या भिन्न थीं तो वे एक दूसरे से प्रतिपूर्ति की गई थीं इस प्रकार सुनिश्चित कर के कि जोड प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर क्रमश:20/10 रहती है।					

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- योजना चरणबध्द रीति में कार्यान्वित की जा रही थी ताकि सभी पांच प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर स्कूली बच्चों को कवर किया जा सके।
- योजना ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, अवधारण और उपस्थिति बढाने का अपना उद्देश्य प्राप्त किया
- योजना ने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की पौषणिक स्थिति सुधारने का अपना उद्देश्य प्राप्त किया
- आबंटित निधियां मितव्ययी तथा दक्ष रीति में उपयोग की जा रही थीं।
- योजना के कार्यन्वयन की प्रभावी रूप से निगरानी की जा रही थी।

1.9 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड के निम्नलिखित स्त्रोत अपनाए गए थे:

- प्राथमिक शिक्षा (एम डी एम) 2006 की पौषणिक सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर योजना मार्गनिर्देश।
- एस डी एम के अन्तर्गत जिला स्तर पर एफ सी आई को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान के विकेन्द्रीकरण के मार्गनिर्देश (फरवरी 2010)।
- एस डी एम योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के जुलाई-2013 के मार्ग निर्देश।
- एम डी एम योजना के अन्तर्गत खर्च करने के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा बनाए गए प्रतिमान।
- एम एच आर डी/राज्य सरकारों/यू टी प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र तथा निर्देश
- वार्षिक कार्य योजना तथा विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार बजट
- सामान्य वित्तीय नियमावली
- बच्चों के नामांकन, उपस्थिति अवधारण और पौषणिक स्थिति के डाटा।

- बच्चों की पौषणिक स्थिति के निर्धारण हेतु माप प्रणाली और पौषणिक स्थिति में सुधार।
- निगरानी तन्त्र और विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन/अनुवर्ती कार्रवाई तथा निर्धारित सुधारक कार्रवाई
- योजना पर मूल्यांकन रिपोर्ट
- आन्तरिक नियंत्रण संरचना और इसकी प्रभावकारिता

1.10 पूर्व लेखापरीक्षाएं

एम डी एम योजना के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि को कवर कर पूर्व में भी की गई थी और परिणाम नियंत्रक महालेखापरीक्षाक के 2008 के प्रतिवेदन सं.13 में सूचित किए गए थे। उपर कथित प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रमुख कमियां थी:

- बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा अवधारण स्तरों में वृध्दि के अनुसार कार्यक्रम के प्रभाव का निर्धारण न करना।
- कमजोर आन्तरिक नियंत्रण तथा निगरानी के उदाहरण
- केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर संचालन तथा निगरानी समितियों की बैठकों में कमी
- एम डी एम की सम्पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का अपर्याप्त निरीक्षण
- अपूर्ण अवसंरचना निधियों का विलम्बित निर्गम और स्फीत परिवहन लागतों आदि के उदाहरण
- खाना बनाने तथा परोसने का पर्यवेक्षण करने में पर्याप्त अध्यापन समय लगाने वाले अध्यापकों के उदाहरण परिणामस्वरूप अध्ययन घटों की हानि हुई।

लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सिफारिशे की गई थीं

- स्कूलों से वास्तविक नामांकन, उपस्थिति और अवधारण के डाटा प्रग्रहण की विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना
- बच्चों के पौषणिक स्तर की पहुँच के लिए तन्त्र स्थापित करना।

- एफ सी आई से खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सभी स्तरों पर निरीक्षण तथा निगरानी तन्त्र सुदृढ़ करना।
- एम डी एम के कार्यान्वयन हेतु अनिवार्य अवसंरचना प्रदान करना।

एम डी एम योजना के, सी ए जी के प्रतिवेदन 2008 के सं.13 पर लोक लेखा समिति (15 वी लोक सभा) ने अपनी नौवी रिपोर्ट (बाद में 28 वीं रिपोर्ट) में अवलोकन/सिफारिशे की थीं। मंत्रालय ने, पी ए सी की नौवी रिपोर्ट के अवलोकनों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजी (सितम्बर 2010)।

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि की एम डी एम योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला कि सी ए जी के पूर्ण प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित अधिकांश कामियां पी ए सी को मंत्रालय द्वारा भेजे गए आश्वासन के बावजूद अब भी विद्यमान थी, जैसा नीचे तालिका 1.3 में स्पष्ट किया गया है:

तालिका 1.3 लोक लेखा समिति के अवलोकनों/ सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	लोक लेखा समिति (पी ए सी) के अवलोकन/सिफारिशें	मंत्रालय की प्रतिक्रिया (ए टी एन)	वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
1.	2007-08 तथा 2008-09 वर्षों के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारणों का विश्लेषण	मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय सहायता का कम उपयोग राज्य स्तर से जिला/स्कूल स्तर तक निधियों में विलम्ब के कारण था। इसके अलावा राज्यों तथा यू टी को जी ओ आई द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी होने के एक माह के अन्दर स्कूलों को निधियां जारी करने की सलाह दी गई थी।	विभिन्न स्तरों पर निधियों के कम उपयोग और जारी करने में विलम्ब के दृष्टान्त देखे गए थे (पैरा सं.4.1 तथा तालिका 4.1)।
2.	दोपहर भोजन प्रदान करने के लिए जनता निजी भागीदारी (पी पी पी) तथा सहयोगी स्वैच्छिक संगठनों/एन जी ओ की खोज करना	एन जी ओ/ एस एम जी को लगाने और माताओं को शामिल करने के लिए मार्गनिर्देश सितम्बर 2010 में परिचालित किए गए थे।	एम डी एम प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में एन जी ओ और एस एच जी लगाने के बावजूद लेखापरीक्षा में पका खाना प्रदान करने में कमियां देखी गई (पैरा सं.3.5 पैरा सं. 3.6.4 की केस स्टडी सं. 2 तथा पैरा सं.4.5)। इसके अलावा खाना तैयार करने

			के पर्यवेक्षण में माताओं को शामिल न करने के दृष्टान्त देखे गए थे (पैरा सं.3.6.5)।
3.	वास्तविक नामांकन और उपस्थिति के आधार पर खाद्यान्न आबंटित करने के उपाय विकसित करें। खाद्यान्नों के उपयोग की राज्यों द्वारा निगरानी की जाए।	मंत्रालय ने बताया कि खाद्यान्न सामान्यता बच्चों, जिन्होने एम डी एम प्राप्त किया, की संख्या और स्कूल दिवसों की संख्या, जिन पर पूर्व नर्व के दौरान खाना दिया गया था, के अनुसार वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखकर कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पी ए बी) द्वारा दिए अनुमोदन के आधार पर आबंटित किया जा रहा था। एम डी एम योजना की प्रगति की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी जिसमें एम डी एम के लिए अपनाए गए और वास्तविक एम डी एम प्राप्त वास्तविक नामांकन तथा पी ए जी द्वारा अनुमोदित बच्चों की संख्या है।	बताए गए निगरानी तन्त्र के बावजूद खाद्यान्नों के अधिक/कम उठाने के दृष्टान्त अब भी विद्यमान थे (पैरा सं.3.1)। मंत्रालय तथा राज्यों से प्राप्त एम डी एम योजना के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन,कनरेज के डाटा के बीच भिन्नताएं थी (पैरा सं.2.7)
4.	समिति ने चाहा कि मंत्रालय खाद्यान्नों की आपूर्ति की लगातार निगरानी करे और जिससे क्षेत्र तथा आंधी पानी मौसम वाले क्षेत्रों/जिलें में बफर स्टाक बनाए रखने के लिए राज्यों को स्पष्ट निर्देश भी दे।	मंत्रालय ने खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए (फरवरी 2010) मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्यनिगम (एफ सी आई) खाद्यान्नों की अच्छी गुणवत्ता, उचित औसत गुणवत्ता से कम नहीं, की पर्याप्त मात्रा की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। राज्यों/यू टी से अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक उपभोक्ता यूनिट अप्रत्याशित आवश्यकताओं के कारण विघटन से बचने के लिए एक माह के लिए आवश्यक खाद्यान्नों का बफर स्टाफ बनाए।	एफ ए क्यू के खाद्यान्नों की आपूर्ति न होने, बफर स्पाक बनाए न रखने आदि के दृष्टान्त देखने में आए (पैरा सं.3.3 तथा 3.4)।
5.	निधियों तथा खाद्यन्नों के विपथन की जबाव देही का निर्धारण	खाद्यान्नों/निधियों के विपथन के मामले, शीघ्र ही उचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए उन्हे अनुरोध	निधियों के विपथन के दृष्टान्त देखे गए थे (पैरा सं.4.2)।

		कर, सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाए गए थे।	
6.	रसोई एवं भण्डार निर्माण की नीति की पुन: समीक्षा की जानी चाहिए और आगे और समय गवाए बिना अपेक्षित रसोइयों के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।	मंत्रालय ने ₹60000 प्रति यूनिट फ्लेट दर से कुर्सी से प्रतिमान और 1 दिसम्बर 2007 से अभिभावी दर अनुसूची के आधार पर को रसोई एवं भण्डार की निर्माण लागत संशोधित की। रसोई एवं भण्डार के निर्माण के लिए निधियां भी जारी की गई थीं।	खाना पकाने का आधारभूत ढ़ांचा अर्थात रसोई एवं भण्डार की अनुपलब्धता, निधियों का उपयोग न करने, अविवेकी संस्वीकृती और निधियों का निर्गम तथा के सी एस के निर्माण की निधियों के अवरोधन के उदाहरण देखे गए थे (पैरा सं.3.7 तथा 4.6)।
7.	अध्यापन समय की हानि से बचने के लिए पर्याप्त सहायता तन्त्र सुनिश्चित करना।	खाना पकाने तथा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में अध्यापकों को शामिल न करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।	अध्यापकों को शामिल करने के कोई ऐसे मामले नहीं देखे गए थे।
8.	संचालन एवं निगरानी समितियाँ (एस एम सी) का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सक्रिय कार्रवाई	नियमित अन्तरालों पर सभी स्तरों पर एस एम सी की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी राज्यों/यूटी को स्मरण कराया गया था (अगस्त 2010)।	राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तथा ब्लॉक स्तर पर बैठकों में कमी हुई थीं (पैरा संख्या 5.2 तथा 5.3)।
9	मंत्रालय तथा राज्य सरकार वांछित परिणामों अर्थात स्वास्थ्य तथा पोषाहार के साथ इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए योजना का प्रभाव निर्धारित करें।	मंत्रालय ने बताया कि एम डी एम योजना का मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया था। मंत्रालय ने आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए राज्यों/यू टी को परिणामों से अवगत कराया था।	नियमित स्वास्थ्य जांचों का आयोजन न करना, बच्चों को माइक्रो पुष्टिकर प्रदान न करने के उदाहरण देखे गए थे (पैरा सं. 3.6.1 तथा 3.6.2)

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है पी ए सी की चिन्ताएं पूर्णतया असमाधित रहीं।